न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0एक्ट/अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,लखनऊ ।

सत्र परीक्षण स0.0000885/2015

सरकार.....बनाम.....अंकित विश्वकर्मा आदि

आरोप

मैं, एस0ए0एच0रिजवी, विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट, लखनऊ एतद्द्वारा आप **अंकित विश्वकर्मा व महेश विश्वकर्मा** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूॅः—

1. यह कि दिनांक 29/12/2013 को समय करीब 4.30 बजे दिन बहद ग्राम सिसेण्डी थाना क्षेत्र मोहनलालगंज जिला लखनऊ में आप लोगो ने वादी मुकदमा राजेन्द्र कुमार गौतम जोकि अनुसूचित जाति का है, को लाठी—डंडे व लात—घूसो से मारपीट कर साधारण प्रकृति की चोटे पहुॅचायी। इसप्रकार से उसके द्वारा आप लोगो ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **भा0दं0सं0 की धारा 323 सपठित धारा 34** के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालयक` प्रसंज्ञान मे है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर आप ने वादी मुकदमा राजेन्द्र कुमार गौतम जोकि अनुसूचति जाति का सदस्य है, को आप लोगो ने मिलकर जाति सूचक गालियां देकर अपमानित किया और इस प्रकार आप ने उसके द्वारा एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **भा0दं0सं0 की धारा 504** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर आप वादी मुकदमा राजेन्द्र कुमार गौतम को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है, के साथ मारपीट कर साधारण चोटे पहुॅचायी, गालियां दी और जाति सूचक गालियां देकर अपमानित किया। इसप्रकार से उसके द्वारा आप लोगो ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट** के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक :25/01/2016

(एस0ए0एच0रिजवी),
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होनें इंकार किया तथा विचारण की याचना की ।

दिनॉक :25/01/2016

(एस0ए0एच0रिजवी)
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0एक्ट/अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, लखनऊ ।

सत्र परीक्षण स0:0000885/2015

सरकार बनाम अंकित विश्वकर्मा आदि

25—01—2016

पुकारा गया। अभियुक्त **अंकित विश्वकर्मा व महेश विश्वकर्मा** उपस्थित हैं।

अभियुक्तगण के विरुद्व थाना मोहनलालगंज द्वारा आरोप—पत्र अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट प्रस्तुत किया गया है।

आरोप के विन्दु पर विद्वान अभियोजन अधिकारी एंव अधिवक्ता अभियुक्तगण को सुना गया एंव पत्रावली का परिशीलन किया गया।

अभियेाजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध पर्याप्त अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोप विरचित किये जाने पर बल दिया। इसके विपरीत अभियुक्तगण की ओर से कहा गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं है । अतः उन्हें उन्मोचित किया जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस अभिलेखों से अभियुक्त के विरुद्व प्रथम दृष्टया आरोप अन्तर्गत धारा 323/34,504,506 भादंसं0 व धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट गठित होना प्रतीत होता है। अतः अभियुक्तगण पर उपरोक्त धाराओ में आरोप पृथक पत्र पर विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। उन्होनें आरोप अस्वीकार किया तथा परीक्षण चाहा।

अभियोजन साक्षी तलब हों। पत्रावली दिनॉक 30/03/2016 को साक्ष्य हेतु पेश हो।

विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट,
लखनऊ।